प्रेषक,

जिलाधिकारी,
गढवाल।

सेवा में,

सलाहकार (न्यायिक),
प्रधान पीठ
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली।

संख्याः– 939/सी.डी.ए. /2022 दिनांक पौडी जुलाई 15, ,2022

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–296/2022 नवीन राणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 05.05.2022 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–296/2022 नवीन राणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 05.05.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा विषयगत प्रकरण में वादी श्री नवीन राणा की वर्णित शिकायत ''नगर पंचायत स्वर्गाश्रम तथा थाना लक्ष्मणझूला क्षेत्रान्तर्गत थाना लक्ष्मणझूला के निकट स्वर्गाश्रम ट्रस्ट के द्वारा सक्षम प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृति के गंगा नदी से 100 मी0 से कम दूरी पर दुकानों का निर्माण ''किये जाने पर शिकायती स्थल का मौका निरीक्षण करते हुये वस्तुस्थिति की जॉच हेतु उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं जिलाधिकारी पौडी गढवाल की एक संयुक्त कमेटी का गठन कर, आदेश के प्राप्ती दिनांक से एक माह के अन्दर कार्यवाही करते हुये 02 माह में जॉच एवं कार्यवाही आख्या मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल की जानी है।

मा0 एन0जी0टी0 के उक्त आदेश दिनांक 05.05.2022 के अनुपालन में उत्तराखण्ड प्रदूषण बोर्ड की ओर से डा0 राजकुमार चतुर्वेदी, क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0) क्षेत्रीय कार्यालय,उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून एवं अधोहस्ताक्षर के प्रतिनिधि श्री प्रमोद कुमार, उपजिलाधिकारी, यमकेश्वर, श्री मनमोहन सेमवाल, अवर अभियंता नगर पंचायत लक्ष्मणझूला एवं श्री अनूप कोठियाल प्रतिनिधि स्वर्गाश्रम ट्रस्ट व अन्य की उपस्थित में दिनांक 28.05.2022 को शिकायती स्थल का संयुक्त रूप से मौका स्थलीय निरीक्षण एवं जॉच की गयी। स्थलीय संयुक्त निरीक्षण/जॉच आख्या निम्नवत हैः–

1:– स्वर्गाश्रम ट्रस्ट द्वारा संचालित निजी टैक्सी स्टेण्ड में एक 02 कमरों का अस्थाई 8.35 मी0 x 06 मी0 का भवन निर्मित किया गया है। इस भवन की दीवारों पर प्लास्टर नही है तथा यह कच्चा है, इसके कक्ष में दरवाजे भी नही लगे हुये हैं। इसके उपर एक टीन सेड लगाया गया है, वर्तमान में कार्य संचालित नही है। फोटोग्राफ संलग्न हैं। **(संलग्नक –02)**

2. इस भवन का एक कक्ष में स्टूल के उपर सी0सी0टी0वी0 का मॉनीटर एवं दूसरे कक्ष में चार कुर्सियॉ रखी हुई हैं। इस भवन का द्वार मुख्य मोटर मार्ग की ओर नही है, इसका द्वार टैक्सी स्टैण्ड की ओर है।

3. मौके पर भवन को देखने से ऐसा प्रतीत होता है इस भवन का उपयोग दुकान के लिये नही किया जा रहा है। इसका उपयोग टैक्सी स्टैण्ड में टैक्सियों के देख–रेख हेतु निर्मित किया जाना प्रतीत हो रहा है। इस टैक्सी स्टैण्ड में वर्तमान में लगभग 100 टैक्सियॉ एक बार में खडी रह सकती है।

4. श्री नवीन राणा के शिकायती पत्र सूचना पर तत्समय क्षेत्रीय कार्यालय, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण यमकेश्वर के द्वारा दिनांक 06 मार्च 2022 को उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 27(1) के अधीन श्री मंजूश्री खेतान, अध्यक्ष प्रबन्धक स्वार्गाश्रम

15/07/22

ट्रस्ट, नगर पंचायत स्वार्गाश्रम तहसल यमकेश्वर जनपद पौडी को नोटिस जारी किया गया तथा वाद पंजीकृत किया गया, जिसका वाद मा0 न्यायालय संयुक्त सचिव, क्षेत्रीय कार्यालय जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण यमकेश्वर के न्यायालय में विचाराधीन है। **(संलग्नक–03)** संबन्धित ट्रस्ट को इस संबन्धमें उक्त निर्माण का विधिवत मानचित्र उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

5. सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग दुगड्डा के द्वारा अपने पत्र संख्या–99/स0अ0/दुगड्डा दिनांक 04.06.2022 के द्वारा उक्त निर्माण स्थल की गंगा नदी के किनारे से दूरी 60 मी0 बताई गई है। पुनः स्थल के मध्य बिन्दु से दूरी के संबंध में सिंचाई विभाग से पत्राचार किया गया, जिस पर सहायक अभियन्ता सिंचाई विभाग दुगड्डा के द्वारा अपने पत्र सं0– 99/स0अ0/दुगड्डा दिनांक 09.06.2022 के द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त निर्माण गंगा नदी के मध्य बिन्दु से लगभग 200 मी0 अधिक की दूरी पर पया गया, साथ उक्त निर्माण 100 वर्ष बाढ आवृत्ति से बाहर है। **(संलग्नक–04)**

6. इस स्थल के भूमि संबंधी अभिलेखों का भी परीक्षण किया गया, यह भूमि राजस्व अभिलेखों में जमीदारी विनाश खौतोनी के श्रेणी 1(क) के खाता सं0 61 के खेत संख्या 717, 718 में वर्तमान में टैक्सी स्टैण्ड संचालित है। खेत सं0 718 मध्ये एक 02 कमरों का अस्थाई 8.35 मी0 X 06 मी0 का भवन निर्मित किया गया है। यह भवन अभी निर्माणाधीन है, जिसमें वर्तमान में कार्य रोका गया है। कार्य बन्द है।

7. प्रबन्धक स्वर्गाश्रम ट्रस्ट के द्वारा अवगत करया गया है कि इस टैक्सी स्टैण्ड में कुछ शरारती तत्वों के द्वारा विगत कुछ समय से गाडियों को नुकसान पहुँचाया जा रहा था, जिस कारण उनके द्वारा सुरक्षा के दृष्टिकोंण से दो कक्षों का निर्माण किया जा रहा था,जिसे उपजिलाधिकारी यमकेश्वर के निर्देश पर रोक दिया गया है। वर्तमान में निर्माण कार्य बन्द है। संयुक्त निरीक्षण आख्या की प्रति मूल में संलग्न है। **(संलग्नक–01)**

अतः मा0 एन0जी0टी0 के उक्त आदेश दिनांक 05.05.2022 के अनुपालन में उक्तानुसार आख्या संलग्नकों सहित सेवा में सादर प्रेषित की जा रही है।

<u>संलग्नः</u>– यथोपरि।

भवदीय

15/07/022

(विजय कुमार जोगदण्डे)
जिलाधिकारी, गढवाल।

प्रेषक,

उपजिलाधिकारी,
यमकेश्वर।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
गढ़वाल।

संख्या– 122 /पी0ए0–22 (एन0जी0टी0–जांच) दिनांक, यमकेश्वर, जून– 17 , 2022

विषय– श्री नवीन राणा, सभासद, नगर पंचायत स्वर्गाश्रम के प्रार्थना पत्र पर मा0 एन0जी0टी0 के द्वारा दिए गये निर्णय/आदेश दिनांक–05.05.2022 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक महोदय के कार्यालय पत्र संख्या–915/डी.डी.ए.–2020–21/पार्किंग/पौड़ी, गढ़वाल दिनांक–21.05.2022, जो सदस्य सचिव, राज्य उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गौरा देवी भवन, 45–बी0, आई0टी0पार्क0 सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून को संबोधित है तथा प्रतिलिपि अधोहस्ताक्षरी को उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्पर्क करते हुए वर्णित शिकायती स्थल की संयुक्त रूप से नियमानुसार मौका जांच कर संयुक्त जांच/कार्यवाही की आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

उक्त के अनुपालन में दिनांक–28.05.2022 को अधोहस्ताक्षरी, श्री आर0के चतुर्वेदी, आर0ओ0, पी0सी0बी0, देहरादून, कर्नल (रिटा0) श्री वी0के0के0 श्रीवास्तव, प्रबन्धक, स्वर्गाश्रम ट्रस्ट एवं श्री अनूप कोठियाल प्रतिनिधि स्वर्गाश्रम ट्रस्ट तथा श्री मनमोहन सेमवाल, अवर अभियंता, नगर पंचायत, लक्ष्मणझूला आदि की उपस्थिति में प्रकरण में संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण/जांच की गयी।

अतः संयुक्त हस्ताक्षरित स्थलीय निरीक्षण/जांच आख्या मूल में मय फोटोग्राफ सहित महोदय की सेवामें सादर प्रेषित।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय

(प्रमोद कुमार)
उपजिलाधिकारी,
यमकेश्वर।

सूचना- (01)

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

श्री नवीन राणा सभासद नगर पंचायत स्वर्गाश्रम के प्रार्थना पत्र पर मा0 एन0जी0टी0 के द्वारा दिये गये निर्णय/आदेश दिनांक 05.05.2022 के अनुपालन में दिनांक 28.05.2022 को श्री प्रमोद कुमार, उपजिलाधिकारी यमकेश्वर/संयुक्त सचिव, क्षेत्रीय कार्यालय यमकेश्वर, जिला विकास प्राधिकरण एवं श्री आर0के0 चतुर्वेदी, आर0ओ0पी0सी0बी0 देहरादून एवं कर्नल(रिटा0) वी0के0के0 श्रीवास्तव, प्रबन्धक स्वर्गाश्रम ट्रस्ट एवं श्री अनूप कोठियाल प्रतिनिधि स्वर्गाश्रम ट्रस्ट एवं अन्य व्यक्तियों/कार्मिकों, जिनकी उपस्थिति पत्र के साथ संलग्न है, के साथ स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसकी आख्या निम्नवत् है-

1- स्वर्गाश्रम ट्रस्ट द्वारा संचालित निजी टैक्सी स्टैण्ड में एक 02 कमरों का अस्थाई 8.35 मी0 x 6 मी0 का भवन निर्मित किया गया है। इस भवन की दीवारों पर प्लास्तर नहीं है तथा यह कच्चा है। इसके कक्ष में दरवाजे भी नहीं लगे है। इसके ऊपर एक टीन सेड लगाया गया है, जिसके फोटोग्राफ्स संलग्न है। कार्य वर्तमान में संचालित नहीं है।

2- इस भवन के एक कक्ष में स्टूल के ऊपर सी0सी0टी0वी0 का मॉनीटर एवं दूसरे कक्ष में चार कुर्सियां रखी गई हैं। इस भवन का द्वार मुख्य मोटर मार्ग की ओर नहीं है। इसका द्वार टैक्सी स्टैण्ड की ओर है।

3- मौके पर भवन को देखने से ऐसा प्रतीत होता है इस भवन का उपयोग दुकान के लिये नहीं किया जा रहा था। इसका उपयोग टैक्सी स्टैण्ड में टैक्सीयों के देख-रेख हेतु निर्मित किया जाना प्रतीत हो रहा है। इस टैक्सी स्टैण्ड में वर्तमान में लगभग 100 टैक्सीयां एक बार में खड़ी रह सकती हैं।

4- श्री नवीन राणा के शिकायती पत्र सूचना पर तत्समय क्षेत्रीय कार्यालय, यमकेश्वर जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के द्वारा दिनांक 06 मार्च 2022 को उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 27(1) के अधीन श्री मंजूश्री खेतान, अध्यक्ष प्रबन्धक स्वर्गाश्रम ट्रस्ट, नगर पंचायत स्वर्गाश्रम, थाना लक्ष्मणझूला, तहसील यमकेश्वर, जनपद पौड़ी गढ़वाल को नोटिस प्रेषित किया गया है। नोटिस की छायाप्रति संलग्न है एवं इस नोटिस के आधार पर वर्तमान में केस संयुक्त सचिव कार्यालय में विचाराधीन है। संबंधित ट्रस्ट को इस संबंध में विधिवत इसका नक्शा उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

5- इसी सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी कार्यालय के पत्र संख्या-51/जि0वि0प्रा0 यमकेश्वर दिनांक 05 अप्रैल 2022 के द्वारा सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग दुगड्डा को उक्त निर्माणाधीन स्थान की गंगा नदी से दूरी के सम्बन्ध में पत्र प्रेषित किया गया था। सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग दुगड्डा के द्वारा अपने पत्र सं0 99/स0अ0/दुगड्डा दिनांक 04/06/2022 के द्वारा उक्त निर्माण स्थल की गंगा नदी के किनारे से दूरी 60 मी0 बताई गई है। पुनः स्थल के मध्य बिन्दु से दूरी के सम्बन्ध में विभाग को पत्रालेख किया गया । इस संबंध में सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग दुगड्डा के द्वारा अपने पत्र सं0 99/स0अ0/दुगड्डा दिनांक 09/06/2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि गंगा नदी के मध्य से लगभग 200 मी0 अधिक की दूरी पर पाया गया और यह भी अवगत कराया गया कि उक्त निर्माण 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति से बाहर है।

6– इस स्थल के भूमि संबंधी अभिलेखों का परीक्षण किया गया। राजस्व उप निरीक्षक उदयपुर मल्ला के द्वारा अवगत कराया गया है कि यह भूमि राजस्व अभिलेखों मे जमी0विनाश खतौनी के श्रेणी 1(क) के खाता सं0 61 के खेत सं0 717,718 में वर्तमान में टैक्सी स्टैण्ड संचालित है। इस खाते के खेत सं0 718 मध्ये एक 02 कमरों का अस्थाई 8.35 मी0 x 6 मी0 का भवन निर्मित किया गया है। यह भवन अभी निर्माणाधीन है । जिसमें कार्य वर्तमान में रूका हुआ है। इसकी खतौनी नकल संलग्न है।

7– कर्नल(रिटा0) वी0के0के0 श्रीवास्तव, प्रबन्धक स्वर्गाश्रम ट्रस्ट एवं श्री अनूप कोठियाल प्रतिनिधि स्वर्गाश्रम ट्रस्ट के द्वारा अवगत कराया गया कि इस टैक्सी स्टैण्ड में कुछ शरारती तत्वों के द्वारा विगत कुछ समय से गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया जा रहा था जिस कारण उनके द्वारा सुरक्षा के दृष्टिकोंण से दो कक्षों का निर्माण किया जा रहा था जिसे उपजिलाधिकारी यमकेश्वर के निर्देश पर रोक दिया गया था। वर्तमान में निर्माण कार्य रूका हुआ है।

अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट सेवा में सादर प्रेषित है।

एस0एस0चौहान	बृजभूषण बमराणा	मनमोहन सेमवाल
ए0एस0ओ0,	राज0उप निरी0	अवर अभियंता
पी0सी0बी0	उदयपुर तल्ला	नगर पंचायत लक्ष्मण झूला।

डा0 आर0के0चतुर्वेदी	प्रमोद कुमार
आर0ओ0 पी0सी0बी0।	उपजिलाधिकारी यमकेश्वर।

प्रमाण - 02

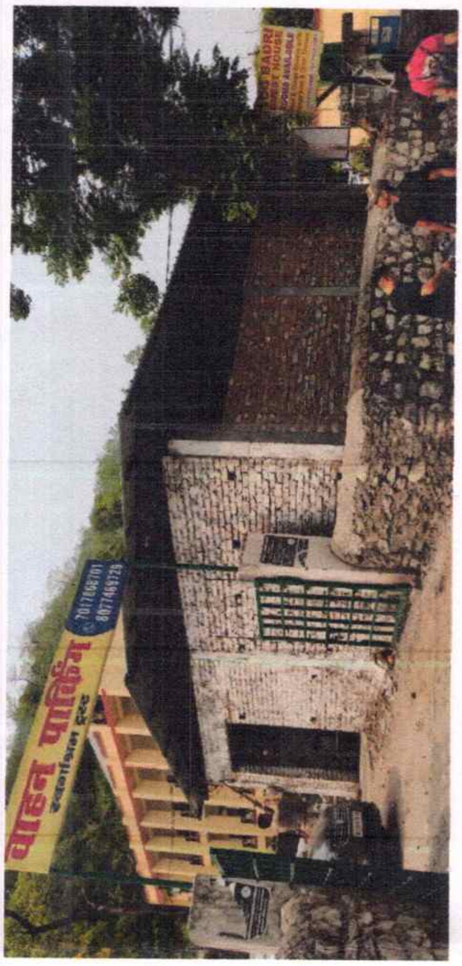

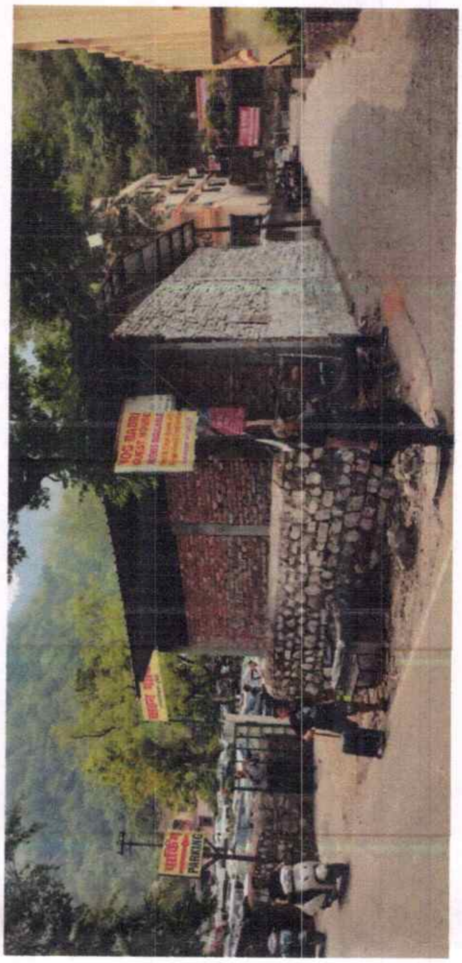

संलग्न-03

!! क्षेत्रीय कार्यालय विकास प्राधिकरण यमकेश्वर !!

(प्रपत्र क)

कारण बताओ नोटिस

वाद संख्याः– 114/जि0वि0प्राधि0 यमकेश्वर दिनांक 06 मार्च 2022

श्री मंजूश्री खेतान,
अध्यक्ष, प्रबन्धन स्वर्गाश्रम ट्रस्ट,
नगर पंचायत स्वर्गाश्रम,
थाना लक्ष्मणझूला, तहसील यमकेश्वर,
जनपद पौड़ी गढ़वाल।

विषयः– उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 27(1) के अधीन नोटिस।

निरीक्षणकर्ता अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार आप द्वारा स्थान थाना लक्ष्मणझूला के निकट, नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जौंक तहसील यमकेश्वर जिला पौड़ी गढ़वाल में नीव निर्माण कॉलम व बीम का निर्माण करते हुये नया भवन/दुकान का निर्माण किया जा रहा है। बिना नक्शा स्वीकृत कराये निर्माण कार्य चालू है। चूंकि यह कार्य उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा–14 के अधीन इस प्राधिकरण की अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किया जा रहा है। अतः यह विकास/निर्माण कार्य अधिनियम की धारा–27(1) के अन्तर्गत गिराने/समाप्त करने योग्य है।

अतः आप दिनांक 18 मार्च 2022 को पूर्वाह्न 11:00 बजे जिलाधिकारी कैम्प कार्यालय लक्ष्मणझूला यमकेश्वर में स्वयं अथवा अपने यथाविधि प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा उपस्थित होकर कारण बतायें कि उपर्युक्त अनाधिकृत विकास/निर्माण कार्य को ध्वस्त कर देने या अन्य तरह से हटा देने के आदेश क्यों न जारी किये जाएं।

नोटः–1 आपका ध्यान उपरोक्त अधिनियम की धारा–26(1) की ओर भी दिलाया जाता है जिसके अधीन आप उपरोक्त कृत्य के लिए अर्थदण्ड के भागी हो सकते हैं जो रू0 50,000/–(पचास हजार रूपये) तक हो सकता है और जारी रहने वाले अपराध की दशा में अतिरिक्त दशा में अतिरिक्त अर्थदण्ड को उस प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा अपराध उसके प्रथम बार दोष सिद्ध होने के पश्चात जारी रहता है, पांच सौ रूपये प्रतिदिन हो सकेगा के लिए दण्डनीय हो सकता है।

नोटः–2 आपका ध्यान उपरोक्त अधिनियम की धारा–26(3) की ओर भी दिलाया जाता है जिसके अधीन आप यदि ऐसे व्यक्ति जो उपरोक्त अधिनियम की धारा 26 के अधीन किसी भूमि या भवन में प्रवेश पाने को अधिकृत है, के प्रवेश में बाधा डालते है अथवा ऐसे प्रवेश के पश्चात ऐसे व्यक्ति को उत्पीडित करते है तो आप कारावास से जिसकी अवधि छः माह तक हो सकती है या जुर्माना रू0 1000/–(एक हजार मात्र) तक हो सकता है अथवा दोनो से दण्डनीय होंगे।

(प्रमोद कुमार)
संयुक्त सचिव/उपजिलाधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय यमकेश्वर
जिला विकास प्राधिकरण पौड़ी।

प्रतिलिपिः– राजस्व उपनिरीक्षक, पट्टी उदयपुर तल्ला को नोटिस दो प्रतियों में इस आशय से प्रेषित कि नोटिस की एक प्रति उक्त पर तामिल कर द्वितीय प्रति अपनी आख्या सहित इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संयुक्त सचिव/उपजिलाधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय यमकेश्वर।
जिला विकास प्राधिकरण पौड़ी।

वास्ते तामील जारी कि
10/3/22

महोदय,
इश्तहार नियमानुसार तामील कर रिपोर्ट सेवा में संप्रेषित

Scanned with CamScanner

संलग्नक (04)

कार्यालय
सहायक अभियन्ता
सिंचाई उपखण्ड चतुर्थ, दुगड्डा

पत्रांक– 99 /स0अ0iv/दुगड्डा   दिनांक 9/6/2022

विषयः– प्रबन्धन स्वर्गाश्रम ट्रस्ट नगर पंचायत स्वर्गाश्रम, तहसील यमकेश्वर जनपद पौड़ी गढ़वाल द्वारा थाना लक्ष्मणझूला के निकट नींव निर्माण, कॉलम व बीम निर्माण के सम्बन्ध मे।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक 51/जि0वि0प्राधि0 यमकेश्वर दिनांक 05 अप्रैल 2022

संयुक्त सचिव/ उपजिलाधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय यमकेश्वर जिला विकास प्राधिकरण पौडी।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रबन्धन स्वर्गाश्रम ट्रस्ट नगर पंचायत स्वर्गाश्रम, तहसील यमकेश्वर जनपद पौड़ी गढ़वाल द्वारा स्थान थाना लक्ष्मणझूला के निकट, टैक्सी स्टेंड नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जौंक तहसील यमकेश्वर जिला पौडी गढवाल का अपर सहायक अभियन्ता द्वारा स्थलीय निरक्षण किया गया तथा निरीक्षणोपरान्त उक्त निर्माण गंगा नदी के मध्य से लगभग 200 मी0 से अधिक की दूरी पर पाया गया है। साथ ही अवगतनीय है कि उक्त निर्माण 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति से बाहर है ।

9/6/2022

सहायक अभियन्ता
सिंचाई उपखण्ड चतुर्थ
दुगड्डा।

कार्यालय
सहायक अभियन्ता
सिंचाई उपखण्ड चतुर्थ, दुगड्डा

पत्रांक– 99 / स0अ0iv / दुगड्डा दिनांक 4/6/2022

विषयः– प्रबन्धन स्वर्गाश्रम ट्रस्ट नगर पंचायत स्वर्गाश्रम, तहसील यमकेश्वर जनपद पौड़ी गढ़वाल द्वारा थाना लक्ष्मणझूला के निकट नींव निर्माण, कॉलम व बीम निर्माण के सम्बन्ध मे।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक 51 / जि0वि0प्राधि0 यमकेश्वर दिनांक 05 अप्रैल 2022

संयुक्त सचिव / उपजिलाधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय यमकेश्वर जिला विकास प्राधिकरण पौडी।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रवन्धन स्वर्गाश्रम ट्रस्ट नगर पंचायत स्वर्गाश्रम, तहसील यमकेश्वर जनपद पौड़ी गढ़वाल द्वारा स्थान थाना लक्ष्मणझूला के निकट, टैक्सी स्टेंड नगर पचायत स्वर्गाश्रम जौंक तहसील यमकेश्वर जिला पौडी गढवाल के स्थलीय निरीक्षणोपरान्त उक्त निर्माण गंगा नदी के किनारे से 60 मीटर की दूरी पर हो रहा है। अतः सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक अभियन्ता
सिचाई उपखण्ड चतुर्थ
दुगड्डा।